उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ-226001
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
UTTAR PRADESH RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
14- ASHOK MARG, SHAKTI BHAWAN, LUCKNOW-226001
(A U.P. Government Undertaking)
CIN-U31901UP1985SGC007135

पत्र सं०– 1290 –मा०सं०–03 / उ०नि०लि० / 2025–05(06) / उ0नि0लि0/2012 दिनांक 11/06/2025

कार्यालय ज्ञाप

निगम के कार्यालय ज्ञाप सं० 2248–मा०सं०–03 / उ०नि०लि० / 2013 दिनांक 14.08.2013 द्वारा 54 कार्मिकों को, कार्यालय ज्ञाप सं० 2735–मा०सं०–03 / उ०नि०लि० / 2014 दिनांक 28.10.2014 द्वारा 27 कार्मकों को, कार्यालय ज्ञाप सं० 1300–मा०सं०–03 / उ०नि०लि० / 2015 दिनांक 05.06.2015 द्वारा 171 कार्मकों को, कार्यालय ज्ञाप सं० 2213–मा०सं०–03 / उ०नि०लि० / 2016 दिनांक 05.08.2016 द्वारा 105 कार्मकों को, कार्यालय ज्ञाप सं० 1155–मा०सं०–03 / उ०नि०लि० / 2017 दिनांक 20.05.2017 द्वारा 60 कार्मिकों को, कार्यालय ज्ञाप सं० 1295–मा०सं०–03 / उ०नि०लि० / 2018 दिनांक 24.04.2018 द्वारा 33 कार्मिकों को, कार्यालय ज्ञाप सं० 4699–मा०सं०–03 / उ०नि०लि० / 2018 दिनांक 14.12.2018 द्वारा 84 कार्मिकों को तथा कार्यालय ज्ञाप सं० 1880–मा०सं०–03 / उ०नि०लि० / 2019 दिनांक 27.07.2019 द्वारा 142 कार्मिकों को, कुल 676 कार्मिकों को प्रथम / द्वितीय / तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन प्रदान किया गया था। तत्क्रम में लेखा इकाई द्वारा अवर अभियन्ताओं का वेतन निर्धारण किया गया।

2. निगम के कार्यालय ज्ञाप सं0 818 / मा०सं०–03 / वि०उ०नि०लि० / 2023 दिनांक 10.04.2023 द्वारा उपरोक्त आदेशों से 283 कार्मिकों को प्रदान की गयी द्वितीय / तृतीय ए0सी0पी0 को निरस्त किया गया।

3. 33 कार्मिकों द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, इलाहाबाद में वाद सं० Writ A 3192/2023 (Lal Bahadur Singh and Others Vs. U.P. Rajya Vidyut Utpadan Nigam Ltd. Thru. Its Chairman and 02 Others), Writ A 3798/2023 (Om Prakash Bharti and Others Vs. State of U.P. Thru. Addl. Chief Secy/Prin. Secy. Energy Deptt. Lko and 03 Others) Writ A 8600/2024 (Rakesh Kumar Singh and Others Vs. State of U.P. Thru. Addl. Chief Secy. Energy and 03 Others) निवेशित की गयी।

4. उक्त याचिका सं० 3192 / 2023, 3798 / 2023 एवं 8600 / 2024 में मा० उच्च न्यायालय द्वारा क्रमशः दिनांक 28.04.2023, 22.05.2023 एवं 30.09.2024 को कार्यालय ज्ञाप सं0 818 / मा०सं०–03 / वि०उ०नि०लि० / 2023 दिनांक 10.04.2023 पर स्थगन आदेश (stay) पारित किया गया जिसके अनुक्रम में दिनांक 27.01.2025 को निर्णय प्रदान किया गया, जिसका प्रभावी अंश (Operating Part) निम्नवत् है:–

10- Considering the aforesaid, it is thus apparent that prior to passing of the order impugned, no opportunity of hearing has been accorded to the petitioners whereby vitiating the order impugned and making the order in gross violation of rules of natural justice.

11- Keeping in view of the aforesaid discussion, the writ petition is allowed. The order impugned dated 10.04.2023, a copy of which is annexure 1 to the petition, is quashed.

12- Consequences to follow.

शेष पृष्ठ सं० 02 पर..

13- However, it would be open for the respondents to pass a fresh order after affording an opportunity of hearing to the petitioners.

5. मा० उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 27.01.2025 के अनुपालन में कार्यालय ज्ञाप सं0 818/मा०सं०–03/वि०उ०नि०लि०/2023 दिनांक 10.04.2023 को एतद्द्वारा Quash (अपास्त) किया जाता है। प्रश्नगत याचिका के याचिकाकर्ताओं एवं कार्यालय ज्ञाप सं0 818/मा०सं०–03/वि०उ०नि०लि०/2023 दिनांक 10.04.2023 से प्रभावित कार्मिकों को सुनवाई का अवसर देते हुए अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी, जिसके लिए अलग से प्रक्रिया की जा रही है।

एतद्द्वारा उपरोक्तानुसार याचिका सं० 3192/2023, 3798/2023 एवं 8600/2024 में मा० उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ द्वारा पारित किये गये निर्णय का अनुपालन कर दिया गया है ।

11/6/25

(डा० आशीष कुमार गोयल)
अध्यक्ष